पत्रांक : 28

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

दिनांक 25/1/2008

अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं कमजोर वर्गों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने हेतु तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के गठन की व्यवस्था है ।

2. प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है । इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

क्र0	नाम	पदनाम
(1)	मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत क्षेत्रीय सांसद अथवा विधान मंडल के सदस्य अथवा राजनीतिक कार्यकर्त्ता अथवा समाजिक कार्यकर्ता	अध्यक्ष
(2)	मुख्य मंत्री द्वारा नामित	उपाध्यक्ष
(3)	प्रखंड के लोक सभा के सदस्य	सदस्य
(4)	प्रखंड के राज्य सभा के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो	सदस्य
(5)	प्रखंड के विधान सभा के सदस्य	सदस्य
(6)	प्रखंड से विधान परिषद के ऐसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो	सदस्य
(7)	पंचायत समिति के अध्यक्ष	सदस्य
(8)	मुख्यमंत्री द्वारा नामित 15 सदस्य होंगे जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यन्त पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला के भी प्रतिनिधि होंगें	सदस्य

(9)	अनुमंडल स्तरीय सभी प्रशासनिक / तकनीकी पदाधिकारी सहित प्रखण्ड के सभी क्षेत्रीय/ तकनिकी पदाधिकारी	सदस्य
(10)	प्रखंड में कार्यरत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक	सदस्य
(11)	प्रखंड विकास पदाधिकारी	सदस्य सचिव

3. प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होगी। बैठक की सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी अध्यक्ष की राय से 15 दिन पूर्व संसूचित करेंगे । समिति के सदस्य सचिव बैठक के उपरांत बैठक की कार्यवाही एक सप्ताह के अंदर सभी सदस्यों को उपलब्ध करायेंगे ।

4. <u>समिति के कृत्य एवं दायित्व</u>

4.1 20-सूत्री कार्यक्रम अन्तर्गत सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रमों की मदवार समीक्षा तथा परामर्श के साथ-साथ जन वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण रोजगार संबंधी विन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा ।

4.2 कृषि एवं कृषि पर आधारित योजनाओं (सिंचाई प्रक्षेत्र की योजनाओं सहित) की बैंकों के सहयोग से प्रखण्ड स्तर पर कार्यान्वयन की समीक्षा ।

4.3 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अलावा ग्रामीण पथ एवं पुल-पुलिया के निर्माण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा ।

4.4 शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा ।

4.5 वन विस्तार के अलावा हर्टिकल्चर मिशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में [illegible] ।

4.6 बेरोजगारी से निपटने के लिए बुनकर योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, के0भी0आई0सी0/ग्रामीण कुटीर उद्योग, कृषि प्रसंकरण, दुग्ध विकास, मतस्य पालन, एवं कुक्कुट पालन जैसी योजना के कार्यान्वयन पर विचार ।

4.7 अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि, ग्रामीण विकास / राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की समीक्षा ।

4.8 बैंको द्वारा विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित बड़ी-बड़ी योजनाओं की समीक्षा जिसमें नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजना भी सम्मलित होगी ।

4.9 अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्यान्य बिन्दु ।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25/01/08

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 28 / पटना, दिनांक 25/1/08

प्रतिलिपि: सभी मंत्री/ राज्य मंत्री/ उप मंत्रीगण एवं अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ प्रेषित ।

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 28 / पटना, दिनांक 25/1/08

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ सदस्य, राजस्व परिषद/ अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 28 / पटना, दिनांक 25/1/08

प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव / सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/01/08

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 28 / पटना, दिनांक 25/1/08

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी/ आरक्षी अधीक्षक/ जिला के उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 28 / पटना, दिनांक 25/1/08

प्रतिलिपि: सभी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी आरक्षी उपाधीक्षक/ सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल के अंचलधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने अनुमंडल मुख्यालय में कार्यरत सभी विभागों के प्रशासनिक एवं तकनिकी पदाधिकारी सभी प्रखंडों में कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दें ।

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 28 / पटना, दिनांक 25/1/08

प्रतिलिपि: राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इस संकल्प को 1000 (एक हजार) प्रतियाँ अविलम्ब इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव

Desktop\Other Users\Minutes\October07\Sankalp